उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission

पत्रांक /Ref. No.: 1907

दिनांक /Date.: 22.03.2022

संवाद–204

विषयः– दिनांक 26/09/2021 को आयोजित पदनाम–रक्षक(सचिवालय सुरक्षा संवर्ग) लिखित परीक्षा का परिणाम जारी किये जाने के संबंध में।

प्रिय अभ्यर्थियों,

आप अवगत है कि आयोग द्वारा दिनांक 26/09/2021 को पदनाम–रक्षक(सचिवालय सुरक्षा संवर्ग)(पदकोड–451/661/31/2021) के 33 रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था। उक्त लिखित परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, तथा शारीरिक नाप–जोख/अभिलेख सत्यापन हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग वेबसाइट **www.sssc.uk.gov.in** पर दिनांक 21.03.2022 को प्रकाशित की गयी है। साथ ही अवगत कराना है कि उक्त पदों हेतु शारीरिक नाप–जोख के दृष्टिगत आयोग द्वारा अधियाचित पदों के सापेक्ष दोगुना अभ्यर्थियों की औपबंधिक श्रेष्ठता सूची जारी की गयी है। अभी इन अभ्यर्थियों की शारीरिक माप–जोख होनी है अतः 02 गुना अर्थात 66 अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया है। प्रथम चरण में 33 अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे। अनर्ह अभ्यर्थियों के स्थान पर शेष अभ्यर्थियों को आंमत्रित किया जायेगा।

उक्त पदों हेतु जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक नाप–जोख व अभिलेख सत्यापन की तिथि व स्थान की जानकारी शीघ्र ही आयोग वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

अभ्यर्थियों को यह भी अवगत कराना है कि उक्त लिखित परीक्षा के परीक्षा परिणाम पर यदि वे आपत्ति प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वे तो दिनांक 21.03.2022 को जारी अधिसूचना के 15 दिवस के भीतर दे दें। निर्धारित समय के उपरांत प्राप्त होने वाली आपत्तियों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

अभ्यर्थियों को यह भी सूचित करना है कि किसी परीक्षा में परिणाम जारी होने के बाद आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम पर 15 दिन के भीतर आपत्ति का अवसर दिया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि **परिणाम में जो मेरिट कम दिया गया है, उस पर कोई आपत्ति है तो प्रस्तुत करें या फिर कोई अभ्यर्थी ऐसे है जिसके प्राप्तांक अधिक होने के बाद भी उनका नाम जारी मेरिट सूची में नहीं आ सका है वो अपनी आपत्ति दे सकते हैं।** प्रश्नोत्तरों पर आपत्ति का अवसर आयोग द्वारा केवल एक बार लिखित परीक्षा के तत्काल बाद सामान्यतः 07 दिन के लिए दिया जाता है व प्रश्नोत्तरों पर आपत्ति केवल ऑनलाइन ही दी जा सकती है। ऑफलाइन आपत्ति या प्रश्नों पर आपत्ति के निर्धारित समय के बाद की गयी आपत्ति पर विचार संभव नहीं है। अतः अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रश्नोत्तरों पर आपत्ति प्रस्तुत न करें।

आयोग की ओर से,

22/3/22

(संतोष बडोनी)
सचिव।

उत्कृष्टता | पारदर्शिता | वस्तुनिष्ठता

राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय परिसर, रिंग रोड़, लाडपुर, देहरादून उत्तराखण्ड **Office Campus of State Election Commission, Ring Road, Ladpur, Dehradun, Uttarakhand**

दूरभाष (कार्या0): 0135-2669658, फैक्स: 0135-2672902, वेबसाईट : www.sssc.uk.gov.in, ईमेल: chayanayog@gmail.com